

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 17/2021-22

आदेश की क्र०सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी												
16/3/21	आवेदक 1.जोहन बरला 2. दामियल बरला 3. जुसतुस बरला 4. सिप्रियन जोसेफ बरला सभी पिता –स्व० अलबर्ट बरला, जाति मुण्डा ग्राम–कोनबीर नवाटोली थाना – बसिया, जिला– गुमला (झारखण्ड) ने निम्नाकिंत विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया। भूमि का विवरणी <table><tr><th>राजस्व ग्राम</th><th>थाना सं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th><th>जमीन किस्म</th></tr><tr><td>कोनबीर</td><td>129</td><td>102</td><td>102</td><td>1.96 एकड़ में से 0.10 एकड़</td><td></td></tr></table> कुल 0.10 एकड़(दस डिसमील) चौहद्दी :- उत्तर – बिक्रेता निज, दक्षिण – जोन केरकेट्टा बगै० का टांड पूरब – रॉची सिमडेगा मुख्य पथ, पश्चिम – मॉनफोट स्कूल। जमीन विक्रेता का विवरणी 1.जोहन बरला 2. दामियल बरला 3. जुसतुस बरला 4. सिप्रियन जोसेफ बरला सभी पिता –स्व० अलबर्ट बरला, जाति मुण्डा ग्राम– कोनबीर नवाटोली थाना – बसिया जिला–गुमला जमीन क्रेता का विवरणी जोन पॉल खेस, पिता ग्रेगोरी खेस, जाति – उरॉव, ग्राम–सिदमा थाना – बसिया जिला गुमला । आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित क्रेता जोन पॉल खेस, पिता ग्रेगोरी खेस, जाति – उरॉव, ग्राम–सिदमा थाना – बसिय जिला–गुमला से राशि 2,00,000 (दो लाख)रुपये पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हल बैल खरीदगी हेतु रुपये की आवश्यकता है के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे है। अंचलाधिकारी, बसिया को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की	राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म	कोनबीर	129	102	102	1.96 एकड़ में से 0.10 एकड़		
राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म									
कोनबीर	129	102	102	1.96 एकड़ में से 0.10 एकड़										



गई एवं आम ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, बसिया के कार्यालय के पत्रांक 121(ii) दिनांक 03/03/2021 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूम बन्दोबस्ती, भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति मुण्डा एवं उराँव के हैं साथ ही एक ही थाना के निवासी हैं।

अतः अंचल अधिकारी, बसिया के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक 1.जोहन बरला 2. दामियल बरला 3. जुसतुस बरला 4. सिप्रियन जोसेफ बरला सभी पिता -स्व० अलबर्ट बरला, जाति मुण्डा ग्राम- कोनबीर नवाटोली थाना - बसिया जिला-गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि 2,00,000/- (दो लाख) रुपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप -समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)



भूमि सुधार उप -समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)